<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/एल आर/1956/2005/अलवर</u>

1. ग्राम पंचायत दातिया पंचायत समिति कठूमर जरिये सरपंच सरिता जैन
2. प्रधानाध्यापक राज.प्राथमिक विद्यालय भांवर पंचायत समिति कठूमर जरिये बाबू लाल शर्मा
3. राकेश पुत्र भवनेश जाति गिरी निवासी भांवर बहैसियत स्वयं नुमाइन्दा ग्रामवासी भांवर तहसील कठूमर जिला अलवर

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. हुल्लड पुत्र भगवाना जाति धोबी
2. शिवजी पुत्र छज्जू जटिया
3. रामवती पत्नी हुक्मचन्द धोबी
4. कमल पुत्र नन्नूराम जाटव
5. प्रहलाद पुत्र बच्चू धोबी
6. लक्षमण पुत्र रेवती जाटव

   समस्त निवासी भांवर तहसील कठूमर जिला अलवर
7. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ

प्रत्यर्थी

<u>अपील/एल आर/2019/2005/अलवर</u>

1.सुशील कुमार पुत्र किशोर गिरी
2. कैलाश चन्द पुत्र रामहेत जाति ब्राहमण
3. घनश्याम गिरी पुत्र गिर्राज गिरी
4. दिलसुख पुत्र प्रभाती जाति जाटव
5. मुकेश पुत्र छोटे लाल जाति ब्राहमण

समस्त निवासी ग्राम भांवर तहसील कठूमर जिला अलवर

अपीलार्थी

बनाम

1. शिवजी पुत्र छज्जू जाति जाटव
2. प्रहलाद पुत्र बच्चू जाति धोबी
3. मु. रामवती पत्नी हुक्म जाति धोबी
4. लक्षमण पुत्र रेवती जाति जाटव
5. कमल पुत्र नन्नूराम जाटव
6. हुल्लड पुत्र भगवाना जाति धोबी

समस्त निवासी ग्राम भांवर तहसील कठूमर जिला अलवर

7. उप जिलाधीश लक्षमणगढ अध्यक्ष आवंटन कमेटी तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

1. यह दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 13–4–2005 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति ने अपने आदेश दिनांक 27–3–98 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 416 मिन रकबा 8बीघा का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या 1लगायत 6 को किया। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु जिला कलेक्टर अलवर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970अपील संख्या 2019/2005 के अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 26–7–2000 के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 27–3–98 निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर एक अपील प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने तथा दूसरी अपील आवंटन आदेश दिनांक 27–3–98 के विरूद्ध ग्राम पंचायत की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–4–2005के द्वारा प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 26–7–2000 निरस्त कर दिया और ग्राम पंचायत की अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर एक अपील अपीलार्थीगण सुशील कुमार वगैरा ने एवं दूसरी अपील ग्राम पंचायत की ओर से मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. दोनों अपीलों में विधिक बिन्दु समान है और विवादित आराजी समान है इसलिये दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटित आराजी खसरा नम्बर 416

रकबा 8बीघा सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है तथा आवंटन नियम 4 के तहत यह भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी,फिर भी आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त आराजी का आवंटन कर क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। आवंटित खसरा नम्बर 416 के बारे में कोई उदघोषणा जारी नहीं की गई। उदघोषणा में केवल रकबा लिखा गया है, खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं किया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भांवर को उक्त भूमि आवंटन किये जाने का प्रस्ताव लम्बित है जिसको आवंटन नहीं कर प्रत्यर्थीगण को आवंटन करने में विधिक त्रुटि की है। उक्त आराजी राजकीय प्राथमिक विद्यालय भांवर के खेल मैदान के काम में आती रही है तथा स्कूल के अन्य आयोजन एवं कार्यक्रमभी इसी मैदान में होते रहे हैं। स्कूल को भूमि आवंटन करने की सिफारिश के बाद जब तक स्कूल को आवंटन होने बाबत अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक उक्त आराजी अन्य को आवंटन नहीं की जा सकती थी। अपने कथन के समर्थन में 2007(5) डब्लू एल सी पेज 217,1983 आर आर डी पेज 53, 1996 आर आर डी पेज 423,2001 आर आर डी पेज 120 की नजीरें पेश करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–4–2005 एवं आवंटन आदेश दिनांक 27–3–98निरस्त करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी सरकारी सिवाच चक अन ओक्यूपाईड भूमि है। प्रर्त्थीगण को भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद जांच विधि अनुसार आवंटन किया गया है। आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने उनके पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया ।

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से पूर्व कोई उदघोषणा जारी नहीं की कि किन खसरा नम्बरान को आवंटन किया जाना है और कब किया जाना है। वक्त आवंटन कौरम भी पूर्ण नहीं था। आवंटन करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई कि आवंटित खसरा नम्बरान की किस्म क्या है और उस पर किसी का अतिक्रमण है अथवा नहीं। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियम 7 की पालना नहीं की गई है जो कि आवश्यक था जैसा कि आर आर डी 1983पेज 53 बजरंगा बनाम बद्री में मण्डल की एकल पीठ ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। आवंटन करने से पूर्व आवंट कमेटी को यह भी विचार करना चाहिये था कि जिन व्यक्तियों को आवंटन किया जाना है,क्या वह आवंटन के पात्र हैं और भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आते हैं।

9. सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि आवंटित की गई आराजी की किस्म चारागाह है। जिसको भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के कुछ रकबे को सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है। तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 416 में आवंटन से पूर्व से ही खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ कच्ची डोल बनी हुई है और उक्त रकबे को खेल के मैदान हेतु दिनांक 25-9-99 की रिपोर्ट में उपखण्ड अधिकारी को प्रस्ताव दिनांक 10-9-98 को भिजवाने का उल्लेख किया है। जिस खसरा नम्बर को सार्वजनिक प्रयोजार्थ सुरक्षित रखा जाता है उस रकबे को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नहीं करना चाहिये था। यही सिद्धान्त विद्वान

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में पारित किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किये बिना विधि से परे जाकर आवंटन बहाल रखने में त्रुटि की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–4–2005 एवं आवंटन आदेश दिनांक 27–3–98 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य